भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 2868

27 अगस्त, 2013 को उत्तरार्थ

विषय: फसलों की बुआई

2868 श्री आर. ध्रुवनारायणः

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देलाः

श्री एम. कृष्णास्वामीः

श्री जगदीश ठाकोरः

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों की बुआई असमान और कम वर्षा के कारण प्रभावित हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और फसल-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्तमान मानसून के दौरान कृषि संबंधी/कृषि जलवायु क्षेत्र का राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जहां अत्यधिक या कम वर्षा हुई है ;

(घ) क्या सरकार ने असमान/कम वर्षा के पैटर्न एवं इसके कृषि पर प्रभाव के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है और इस संबंध में राज्य सरकारों को अनुदेश दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) सरकार द्वारा किसानों को विपरीत मौसम में फसल उगाने के बारे में जानकारी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं एवं किसानों को इस संबंध में क्या वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर)

(क): जी, हां । पिछले तीन वर्षों में चालू फसल मौसम सहित देश के कुछ हिस्सों में असमान/कम वर्षा के कारण फसल की बुआई प्रभावित हुई है । फसलों की बुआई 2010 में झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में, 2011 में उड़ीसा, बिहार, गुजरात तथा हरियाणा तथा 2012 में कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान

में प्रभावित हुई थी । चालू मौसम में बिहार, झारखंड तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में फसल की बुआई प्रभावित हुई है ।

(ख): वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान मुख्य खरीफ फसलों के अंतर्गत राज्यवार क्षेत्र का विवरण अनुबंध-I पर दिया गया है ।

(ग): चालू मानसून में राज्यवार तथा मौसम विज्ञानीय उप-खंडवार वर्षा वितरण अनुबंध-II (क) एवं II (ख) पर दिया गया है ।

(घ) एवं (ड.): भारत सरकार नियमित रूप से देश के वर्षा तथा फसल बुआई स्थिति को मानिटर करती है । उपयुक्त कृषि अनुदेश संबंधित राज्य सरकारों को भेजे जा रहे हैं । केन्द्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए) ने विभिन्न असामान्य मौसम परिस्थितियों के लिए राज्यवार आकस्मिकता फसल योजना भी तैयार की है । भारत सरकार के अधिकारियों ने स्थान मूल्यांकन तथा उपयुक्त कार्य हेतु राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए क्षेत्रीय दौरे किए हैं ।

(च): भारत सरकार आकस्मिकता फसल योजनाओं के संबंध में विस्तार एजेंसियों के माध्यम से किसानों को शिक्षित करने के लिए राज्य सरकारों को परामर्श देती है । चल रहें फसल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अनिवार्य वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

अ.ता.प्र.सं. 2868

अनुबंध -I

वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान प्रमुख खरीफ फसलों का राज्यवार क्षेत्र

('000 हैक्टेयर)

राज्य	तिलहन				गन्ना				कपास			
	2010-11	2011-12	2012-13*	2013-14**	2010-11	2011-12	2012-13*	2013-14**	2010-11	2011-12	2012-13*	2013-14**
आंध्र प्रदेश	1840.0	1537.0	1521.0	1168.0	192.0	204.0	196.0	168.0	1879.0	1879.0	2400.0	1941.0
असम	20.7	20.7	21.0	1.0	29.7	25.7	28.0	30.0				
बिहार	5.8	5.2	6.4	7.0	248.0	218.3	262.8	275.0				
छत्तीसगढ़	225.4	218.8	216.8	230.0	8.3	9.1	13.5					
गुजरात	2555.0	2631.0	2233.0	2175.0	190.0	202.0	185.0	185.0	2633.0	2962.0	2497.0	2663.0
हरियाणा	5.5	8.0	6.2	3.0	85.0	95.0	101.0	120.0	492.0	641.0	614.0	556.0
हिमाचल प्रदेश	4.5	3.9	3.7		1.7	2.1	1.7					
जम्मू व कश्मीर	4.6	4.4	4.8	5.0	0.0	0.0	0.0			0.0		
झारखंड	54.6	29.2	35.6		6.6	6.6	6.7					
कर्नाटक	1150.0	990.0	861.0	944.0	423.0	430.0	425.0	348.0	545.0	554.0	485.0	505.0
केरल	2.0	1.8	1.0	0.0	2.8	2.6	1.7					
मध्य प्रदेश	6159.8	6296.3	6646.3	6918.0	65.1	69.2	59.5	77.0	650.0	706.0	608.0	621.0
महाराष्ट्र	3174.0	3381.0	3508.0	4161.0	965.0	1022.0	937.0	570.0	3942.0	4125.0	4146.0	3847.0
ओडिशा	195.1	155.5	140.0	125.0	13.1	14.5	14.5	39.0	74.0	102.0	119.0	124.0
पंजाब	7.9	7.0	6.8	9.0	70.0	80.0	83.0	96.0	530.0	560.0	481.0	505.0
राजस्थान	1808.1	2115.7	2075.8	1952.0	5.5	6.4	5.5	0.0	335.0	470.0	450.0	293.0
तमिलनाडु	326.1	305.2	257.2	120.0	316.0	346.4	382.5	262.0	122.0	133.0	128.0	5.0
उत्तर प्रदेश	432.0	455.0	453.0	507.0	2125.0	2162.0	2212.0	2517.0				23.0
उत्तराखंड	13.0	15.0	14.0	8.0	106.7	108.0	110.0	111.0				
पश्चिम बंगाल	189.8	187.6	194.7	4.0	15.0	16.1	16.1	19.0				
अन्य	54.4	54.0	55.9	0.0	16.3	17.7	22.2	36.0	33.0	46.0	50.0	10.0
अखिल भारत	**18228.3**	**18422.2**	**18262.1**	**18337.0**	**4884.8**	**5037.7**	**5063.7**	**4853.0**	**11235.0**	**12178.0**	**11978.0**	**11093.0**

*चौथा अग्रिम अनुमान*स्रोत : अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

:16 अगस्त, 2013 तक:16 अगस्त, 2013 तक , साप्ताहिक मौसम निगरानी रिपोर्ट के अनुसार

4

अ.ता.प्र.सं. 2868

अनुबंध -I

वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान प्रमुख खरीफ फसलों का राज्यवार क्षेत्र

('000 हैक्टेयर)

राज्य	चावल				मोटे अनाज				दलहन				खाद्यान्न			
	2010-11	2011-12	2012-13*	2013-14**	2010-11	2011-12	2012-13*	2013-14**	2010-11	2011-12	2012-13*	2013-14**	2010-11	2011-12	2012-13*	2013-14**
आंध्र प्रदेश	2922.0	2874.0	2487.0	1020.0	693.0	748.0	814.0	734.0	996.8	711.0	702.0	531.0	4611.8	4333.0	4003.0	2285.0
असम	2171.6	2152.1	1841.0	1864.0	25.0	26.9	25.0	19.0	7.1	5.7	5.0	6.0	2203.7	2184.7	1871.0	1889.0
बिहार	2743.7	3254.8	3170.3	1666.0	253.4	283.9	295.1	455.0	63.1	56.1	57.5	77.0	3060.2	3594.7	3522.9	2198.0
छत्तीसगढ़	3702.5	3773.8	3784.8	3394.0	277.7	265.9	260.9	254.0	219.0	219.3	195.9	248.0	4199.2	4259.0	4241.6	3896.0
गुजरात	728.0	752.0	672.0	744.0	1426.0	1407.0	1098.0	725.0	612.0	620.0	447.0	222.0	2766.0	2779.0	2217.0	1691.0
हरियाणा	1245.0	1235.0	1215.0	1154.0	743.0	651.0	476.0	529.0	59.0	39.0	25.0	21.0	2047.0	1925.0	1716.0	1704.0
हिमाचल प्रदेश	77.1	77.2	81.3	76.0	304.4	302.3	291.9	305.0	20.2	21.1	21.4	20.0	401.7	400.7	394.6	401.0
जम्मू व कश्मीर	261.3	262.2	261.7	111.0	334.2	347.3	344.7	218.0	25.8	23.7	24.6	18.0	621.3	633.1	631.0	347.0
झारखंड	720.3	1469.0	1352.7	718.0	241.6	220.7	238.9	234.0	299.2	240.0	336.3	282.0	1261.1	1929.7	1927.8	1234.0
कर्नाटक	1130.0	1118.0	1051.0	541.0	2478.1	2392.0	2249.0	2059.0	1639.0	1337.0	1146.0	1305.0	5247.1	4847.0	4446.0	3905.0
केरल	162.1	160.9	150.0	177.0	2.6	0.7	0.5		2.6	1.8	0.7		167.3	163.4	151.1	177.0
मध्य प्रदेश	1602.9	1662.0	1882.6	1736.0	1676.9	1681.8	1554.6	1628.0	1172.0	1195.8	1272.8	1277.0	4451.8	4539.6	4710.0	4641.0
महाराष्ट्र	1486.0	1516.0	1520.0	1288.0	2976.0	2667.0	2271.0	2477.0	2467.0	2118.0	1903.0	1876.0	6929.0	6301.0	5694.0	5641.0
ओडिशा	3932.7	3769.2	3748.5	2643.0	206.9	182.8	176.1	403.0	512.7	418.4	498.3	398.0	4652.3	4370.4	4423.0	3444.0
पंजाब	2831.0	2818.0	2845.0	2773.0	136.0	129.0	132.0	152.0	14.8	13.0	10.4	15.0	2981.8	2960.0	2987.4	2940.0
राजस्थान	131.1	134.3	125.6	115.0	7376.1	6628.6	5661.0	5561.0	2916.1	2971.5	1955.6	1868.0	10423.4	9734.4	7742.3	7544.0
तमिलनाडु	1743.0	1741.3	1443.6	257.0	480.7	470.2	372.4	58.0	174.9	205.8	168.9	46.0	2398.6	2417.3	1985.0	361.0
उत्तर प्रदेश	5657.0	5923.0	5837.0	5788.0	1893.0	1834.0	1792.0	1846.0	989.0	865.0	875.0	982.0	8539.0	8622.0	8504.0	8616.0
उत्तराखंड	273.7	266.0	249.0	246.0	232.3	225.0	227.0	217.0	37.8	39.0	43.0	42.0	543.7	530.0	519.0	505.0
पश्चिम बंगाल	3574.3	4212.6	4216.1	3315.0	45.6	43.6	53.8	58.0	48.3	47.2	54.9	52.0	3668.2	4303.4	4324.8	3425.0
अन्य	953.5	967.6	920.3	836.0	250.3	244.8	231.9	220.0	43.1	42.0	53.6	39.0	1246.9	1254.3	1205.8	1095.0
अखिल भारत	**38048.8**	**40139.0**	**38854.5**	**30462.0**	**22052.7**	**20752.5**	**18565.7**	**18152.0**	**12319.6**	**11190.3**	**9797.0**	**9325.0**	**72421.1**	**72081.7**	**67217.1**	**57939.0**

*चौथा अग्रिम अनुमान स्रोत : अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

**:16 अगस्त, 2013 तक , साप्ताहिक मौसम निगरानी रिपोर्ट के अनुसार

3

अ०ता०प्र०सं० 2868

अनुबंध-II (क)

चालू मानसून में राज्यवार वर्षा का वितरण

(मि0मी0 में)

क्र.सं.	राज्य	अवधि: 01.06.13 से 21.08.13		
		वास्तविक	सामान्य	% विचलन
पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत				
1	अरूणाचल प्रदेश	718.6	1280.6	-44%
2	असम	846.8	1121	-24%
3	मेघालय	915	2113.9	-57%
4	नागालैंड	552.9	996.3	-45%
5	मणिपुर	473.5	1632.3	-71%
6	मिजोरम	749.6	1195.8	-37%
7	त्रिपुरा	788.9	1123.3	-30%
8	सिक्किम	1023	1275.8	-20%
9	पश्चिम बंगाल	948.1	965.5	-2%
10	झारखंड	584.2	760	-23%
11	बिहार	503.9	708.3	-29%
उत्तर पश्चिम भारत				
1	उत्तर प्रदेश	663.2	583.4	14%
2	उत्तराखंड	1200.1	907.6	32%
3	हरियाणा	299.8	332.7	-10%
4	चंडीगढ़ (सं0शा0)	672.8	632	6%
5	दिल्ली	462.1	465.6	-1%
6	पंजाब	439.9	361.7	22%
7	हिमाचल प्रदेश	668.7	614	9%
8	जम्मू व कश्मीर	572.4	394.2	45%
9	राजस्थान	446	311.2	43%
मध्य भारत				
1	ओडिशा	875.1	810	8%
2	मध्य प्रदेश	1055.1	676.3	56%
3	गुजरात	623.7	492	27%
4	दा.ना.ह. एवं दमण दीव	2108.8	1727.4	22%
5	डीआईयू (सं0शा0)	629.4	557.9	13%
6	गोवा	2908.2	2540.3	14%
7	महाराष्ट्र	1039.6	746.4	39%
8	छत्तीसगढ़	938.1	828	13%
दक्षिण प्रायद्वीप				
1	अ0नि0द्वी0स0 (सं0शा0)	1598.4	1117.8	43%
2	आंध्र प्रदेश	501.4	401.9	25%
3	तमिलनाडु	173.9	167	4%
4	पांडिचेरी (सं0शा0)	371.6	198.3	87%
5	कर्नाटक	740.6	621.1	19%
6	केरल	2217.3	1688.2	31%
7	लक्षद्वीप (सं0शा0)	859.7	766.4	12%
समग्र देश समग्र रूप में		728.8	638.4	14%

स्रोत: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

10

अ० ता० प्र० सं० 2868

अनुबध -II (ख)

चालू मौसम में मौसम विज्ञानीय उपखंड-वार वर्षा वितरण

(मि0मी0 में)

क्र. सं.	मौसम विज्ञान उपप्रभाग	अवधि	01.06.2013 से 21.08.2013	
		वास्तविक	सामान्य	% विचलन
पूर्व एव पूर्वोत्तर भारत		720.6	1030.8	-30%
1	अरूणाचल प्रदेश	718.6	1280.6	-44%
2	असम एवं मेघालय	860.4	1332.4	-35%
3	एनएमएमटी	650.4	1094.9	-41%
4	एसएचडब्ल्यूबी एवं सिक्किम	1288.1	1434.5	-10%
5	पश्चिम बंगाल गंगा तटीय	808.9	795.3	2%
6	झारखंड	584.2	760	-23%
7	बिहार	503.9	708.3	-29%
उत्तर पश्चिम भारत		568.2	444.5	28%
1	पूर्वी उत्तर प्रदेश	701.3	613.3	14%
2	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	605.3	538.5	12%
3	उत्तराखंड	1200.1	907.6	32%
4	एचएआर चंडीगढ़ एवं दिल्ली	305.6	337.5	-9%
5	पंजाब	439.9	361.7	22%
6	हिमाचल प्रदेश	668.7	614	9%
7	जम्मू व कश्मीर	572.4	394.2	45%
8	पश्चिम राजस्थान	279	198	41%
9	पूर्व राजस्थान	656.4	454.4	44%
मध्य भारत		941.2	707	33%
1	ओडिशा	875.1	810	8%
2	पश्चिम मध्य प्रदेश	1028.6	617.5	67%
3	पूर्वी मध्य प्रदेश	1089.1	751.9	45%
4	गुजरात क्षेत्र	833.3	664.3	25%
5	सौराष्ट्र एवं कच्छ	466.2	362.5	29%
6	कोंकण एवं गोवा	3065.2	2377.1	29%
7	मध्य महाराष्ट्र	643.5	524.1	23%
8	मराठवाड़ा	576.3	454.4	27%
9	विदर्भ	1174.1	697.7	68%
10	छत्तीसगढ़	938.1	828	13%
दक्षिण प्रायद्वीप		622.9	505.7	23%
1	अ0नि0द्वी0स0	1598.4	1117.8	43%
2	आंध्र प्रदेश तटीय	375.6	368.9	2%
3	तेलंगाना	763.6	529	44%
4	रायलसीमा	227.4	231.2	-2%
5	तमिलनाडु	174.5	167	5%
6	कर्नाटक तटी	3150.9	2609	21%
7	एनआई कर्नाटक	325.6	322.8	1%
8	एसआई कर्नाटक	612.3	477.5	28%
9	केरल	2217.3	1688.2	31%
10	लक्षद्वीप	859.7	766.4	12%
समग्र देश समग्र रूप में		728.8	638.4	14%

स्रोत:भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

xxxx

6

12

भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2799

दिनांक 27 अगस्त, 2013 के लिए प्रश्न

विषय : अद्यतन प्रौद्योगिकी संपन्न मिनी डेयरी इकाइयों की स्थापना

2799: श्री जगदीश ठाकोर:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गुजरात एवं उत्तराखंड सहित पूरे देश में अद्यतन प्रौद्योगिकी संपन्न मिनी डेयरी इकाइयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन इकाइयों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डा0 चरण दास महंत)

(क): जी, नहीं।

(ख) और (ग): उपर्युक्त (क) पर दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

.....

भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 3383

दिनांक 30 अगस्त, 2013

पेट्रोल पंपों का आबंटन

3383. **श्री जफर अली नकवीः**

श्री जगदीश ठाकोरः

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विधवाओं, सम्मानित सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों तथा निःशक्त व्यक्तियों के लिए निर्धारित विभिन्न कोटे के अंतर्गत गुजरात और देश में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने व्यक्तियों को खुदरा बिक्री केंद्रों तथा एल॰पी॰जी॰ एजेंसियों का आबंटन किया गया;

(ख) इस प्रयोजनार्थ गुजरात में गठित डीलर चयन बोर्ड सहित इसके गठन से संबंधित नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का गैस और पेट्रोल पंप डीलरशिप प्रदान करने में स्वतंत्रता सेनानियों/ महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध् में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी)

(क) : पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल से जून 2013) के दौरान रक्षा और शारीरिक रूप से विकलांग (पीएच) श्रेणी के तहत आबंटित खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) और नियमित तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की कुल संख्या अनुबंध में दी गई है। आरओज के आबंटन में विधवाओं के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं है और वे रक्षा और शारीरिक विकलांग सहित विभिन्न श्रेणियों में आरओ डीलरशिप के लिए आवेदन कर सकती हैं।

(ख) : मई 2002 से पहले गुजरात समेत देश में खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए डीलरों का चयन भारत सरकार द्वारा नामित अध्यक्ष की अध्यक्षता में और तेल उद्योग के दो सदस्यों द्वारा डीलर चयन बोर्डों (डीएसबीज) के द्वारा किया जाता था। दिसंबर, 2002 से डीएसबीज को समाप्त कर दिया गया है।

(ग) : जी नहीं।

(घ) : उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

******

अनुलग्नक

पेट्रोल पम्पों के आबंटन के संबंध में दिनांक 30.08.2013 को पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3383 के भाग (क) के उत्तर से संदर्भित अनुलग्नक।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल से जून 2013) के दौरान देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार रक्षा और शारीरिक विकलांग (पीएच) श्रेणी के तहत ओएमसीज द्वारा आबंटित आरओ डीलरशिपों और नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या।

	आरओ डीलरशपि		एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप	
राज्य	पीएच	रक्षा	रक्षा	पीएच
आन्ध्र प्रदेश	81	13	5	1
अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	6	2	4	3
बिहार	37	4	2	4
छत्तीसगढ	16	0	0	0
दिल्ली	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	0
गुजरात	19	0	1	1
हरियाणा	21	8	0	0
हिमाचल प्रदेश	1	3	0	0
जम्मू व कश्मीर	3	0	0	0
झारखण्ड	6	0	0	0
कर्नाटक	28	6	6	1
केरल	2	2	0	3
मध्य प्रदेश	33	2	1	1
महाराष्ट्र	54	8	4	2
मणिपुर	3	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0
नगालैंड	0	0	0	0
ओडिशा	6	1	1	2
पंजाब	4	4	0	1
राजस्थान	18	3	4	4
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु	24	3	7	3
त्रिपुरा	2	0	0	0
उत्तराखंड	1	1	1	0
उत्तर प्रदेश	71	13	12	4
पश्चिम बंगाल	3	0	2	1
अंडमान व निकोबार	0	0	0	0
चण्डीगढ	0	0	0	0
दादर व नागर हवेली	0	0	0	0
दमन व दीव	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0
पुदुच्चेरी	0	0	0	0
समग्र योग	439	73	50	31

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 211
शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त, 2013 को उत्तर देने हेतु

ग्रामीण क्षेत्रों में गृह प्रकाश व्यवस्था

211. **श्री अदगुरू एच॰ विश्वनाथः**
श्री जगदीश ठाकोरः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृह प्रकाश व्यवस्था हेतु कोई कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में कोई आकलन/सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में खामियों की पहचान कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में वहनीय लागत पर यथाशीघ्र प्रकाश व्यवस्था मुहैया कराने हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है; और

(ङ) ऐसे कार्यक्रमों से बिजली और अन्य जीवाश्म ईंधनों के उपयोग के संरक्षण में किस हद तक मदद मिली है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(डा. फारूक अब्दुल्ला)

(क), (ख), (ग), (घ) और (ङ.) : एक विवरण सदन–पटल पर रखा है ।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में गृह प्रकाश व्यवस्था के संबंध में दिनांक 23.08.2013 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 211 के भाग (क), (ख), (ग), (घ) और (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) : नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की प्रकाश की आवश्यकता को पूरा करने तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के तहत किए जा रहे प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण (आरवीई) कार्यक्रम और सौर प्रकाशवोल्टीय (एसपीवी) कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। मंत्रालय के आरवीई कार्यक्रम के तहत अब तक 10,611 गांवों को अक्षय ऊर्जा आधारित गृह रोशनी प्रणालियों से विद्युतीकृत/प्रकाशित किया गया है, जिसमें से 3568 गांवों को पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरा किया गया है । एसपीवी कार्यक्रम के तहत लगभग 9.6 लाख सौर गृह रोशनी प्रणालियां और 9.39 लाख सौर लालटेन स्थापित/वितरित किए गए हैं । इनमें से पिछले तीन वर्षों में 3.43 लाख सौर गृह रोशनी प्रणालियां और 1.26 लाख सौर लालटेन संस्थापित/वितरित किए गए हैं । राज्य–वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है ।

(ख) और (ग) : कार्यक्रम की प्रभावशीलता और कार्यशीलता के मूल्यांकन के लिए इन कार्यक्रमों का समय–समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन/सर्वेक्षण किया जाता है । इन सर्वेक्षणों से प्राप्त सुझावों और कार्यान्वयन एजेंसियों के फीड बैक को योजना के विभिन्न घटकों में सुधार के लिए उपयोग किया जाता है । इन सर्वेक्षणों में दर्शाई गई मुख्य कमजोरियों में प्रणालियों के अनुरक्षण में सिस्टम सप्लायर के बुनियादी ढांचे का अभाव, विषयक कमियां, उपयोगकर्ता को पर्याप्त रख–रखाव प्रशिक्षण न देना और सिस्टम को सुधारने के लिए उपयोगकर्त्ताओं की ओर से उपकरण सप्लायरों को प्रभावी फीड बैक तंत्र का न होना शामिल है ।

(घ) : मंत्रालय ने इन कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं और अब सिस्टम सप्लायरों के लिए यह अनिवार्य है कि वे जिलावार प्रचालन और रख–रखाव अवसंरचना सृजित करें, 5 वर्ष के लिए रख–रखाव की वारंटी दें और उपयोगकर्ता से नियमित फीड बैक लेने के लिए उनके संपर्क संबंधी ब्यौरे रखें ।

(ड.) : दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों की रोशनी की समस्या को हल करने में सौर गृह रोशनी सिस्टम बहुत सहायक हैं । इनमें से अधिकांश सिस्टम अविद्युतीकृत क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं और प्रचलित रोशनी उपकरणों के अच्छे प्रतिस्थापक हैं । अनुमानित है कि 10 वाट सौर सिस्टम से प्रति वर्ष 20 लीटर मिट्टी के तेल की बचत होती है ।

अनुलग्नक

ग्रामीण क्षेत्रों में गृह प्रकाश व्यवस्था के संबंध में दिनांक 23.08.2013 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 211 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

पिछले 3 वर्षों के दौरान विद्युतीकृत गांवों/बस्तियों, संस्थापित सौर गृह प्रकाश सिस्टम और सौर लालटेनों का राज्य–वार ब्यौरा ।

क्रम सं.	राज्य	पिछले 3 वर्षों के दौरान विद्युतीकृत गांव/बस्तियां	पिछले 3 वर्षों के दौरान संस्थापित सौर गृह रोशनी सिस्टम	पिछले 3 वर्षों के दौरान संस्थापित सौर लालटेनों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	13	6393	5561
2.	अरूणाचल प्रदेश	51	11825	496
3.	असम	1017	20	
4.	बिहार		3402	
5.	छत्तीसगढ़	169	43	119
6.	हरियाणा	92	28151	22207
7.	हिमाचल प्रदेश	20	5738	939
8.	जम्मू एवं कश्मीर	189	39050	15387
9.	झारखंड	44	4344	7000
10.	केरल	49	669	13186
11.	मध्य प्रदेश	327	939	
12.	महाराष्ट्र	2	1470	
13.	मणिपुर	49	365	
14.	मेघालय	52		
15.	मिजोरम		3756	3777
16.	नागालैंड	8	325	449
17.	ओडिशा	726	7	
18.	राजस्थान	90	57097	
19.	सिक्किम		6169	20830
20.	तमिलनाडु	30	6328	
21.	त्रिपुरा	441	6657	21922
22.	उत्तराखंड	88	19	
23.	उत्तर प्रदेश	105	114121	9200
24.	पश्चिम बंगाल	6	28944	
25.	दिल्ली*			54
26.	गोवा		393	66
27.	कर्नाटक		16311	
28.	अंडमान और निकोबार		63	
29.	लक्षद्वीप			5289
	कुल	**3,568**	**3,42,599**	**1,26,482**

.....

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS
(DEPARTMENT OF SPORTS)

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO.15
TO BE ANSWERED ON 05.08. 2013

Activities initiated by Sports Authority of India

15. SHRI JAGDISH THAKOR:

Will the Minister of YOUTH AFFAIRS AND SPORTS be pleased to state:

(a) whether the Government has provided facilities towards development and promotion of sports in Gujarat;

(b) if so, the details of the activities initiated by the Sports Authority of India (SAI) in Gujarat for the development of Boxing, Table Tennis, Hockey, Football and other sports events; and

(c) if not, the reasons therefor?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) FOR YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI JITENDRA SINGH)

(a) Yes, Madam.

(b) The details of SAI Centres in the State of Gujarat are as under:-

1. STC, Gandhinagar (Gujarat) with the disciplines Athletics, Basketball, Football, Handball, Hockey, Kabaddi, Swimming, Volleyball, Wrestling.

2. Centre of Excellence (COE), Gandhinagar, Gujarat with the discipline Kabaddi.

3. SAI Extension Centre of STC/SAG Centres (Gujarat)

i) **Kendriya Vidyalaya No.3, Surat with the discipline of Badminton.**

ii) **KG & RG Chaudhary Higher Secondary School, Mansa with the of discipline Volleyball.**

(c) There is no SAI Centre for Boxing and Table Tennis discipline in Gujarat. Centres are opened and disciplines chosen on the basis of various factors including demand from the State Governments, availability of resources etc.

*****

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 716

(जिसका उत्तर गुरुवार, 8 अगस्त, 2013/17 श्रावण,1935 (शक) को दिया गया)

सी.एस.आर.

716. श्री जगदीश ठाकोर :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) के अन्तर्गत विभिन्न कंपनियों द्वारा खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार अवगत है कि सी.एस.आर संबंधी राशि को खर्च करने के लिए अनेक कंपनियों ने गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) की स्थापना की है और योजना का दुरूपयोग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री सचिन पायलट)

(क) से (घ): कंपनी अधिनियम, 1956 में कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर खर्च करने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि कंपनी विधेयक, 2012 में खंड 135 के अंतर्गत सीएसआर का प्रावधान है जिसमें उल्लेख है कि प्रत्येक कंपनी जिसका निवल मूल्य 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक है अथवा कारोबार 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक का है अथवा एक वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक है, एक सीएसआर समिति का गठन करेगी जो कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वहन के लिए इस ढंग से कार्यकलापों की सिफारिश करेगी कि कंपनी पूर्ववर्ती तीन वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% सीएसआर कार्यकलापों पर खर्च करे। कंपनियों को परियोजना आधारित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) हस्तक्षेप तैयार करने की स्वतंत्रता होगी। विधेयक के कानून बन जाने पर सभी पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श करके रिपोर्टिंग अपेक्षाएं आदि निर्धारित की जाएंगी।

*****